संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, थत्यूड़ द्वारा प्रस्तावित अगलाड – थत्यूड मोटर मार्ग के क्यारी से मसरास मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तानन्तरण के लिए प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग के आदेशानुसार दिनांक 16.03.2018, को वन विभाग, राजस्व विभाग तथा प्रस्ताव विभाग के निम्न अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया । जिसमें निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है:–

1. श्री बच्चन सिंह महर वन दरोगा क्यारी अनुभाग, देवलसारी रेंज, मसूरी वन प्रभाग , मसूरी ।
2. श्री अतर सिंह चौहान वन वीट अधिकारी क्यारी वीट।
3. श्री पूरण सिंह कण्डारी, राजस्व उपनिरीक्षक क्यारी (धनोल्टी)।
4. श्री अमित कश्यप , अपर सहायक अभियन्ता , अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 थत्यूड़।
5. श्री बचन सिंह मल्याल अमीन अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 थत्यूड़।

लो0नि0वि0, थत्यूड द्वारा क्यारी से मसरास मोटर मार्ग लम्बाई 15.00 किमी0 चौड़ाई 9.00 मी0 प्रस्तावित की गई है जिसमें 13.00 कि0मी0 मसूरी वन प्रभाग देवालसारी रेंज के अन्तर्गत जो मसूरी वन प्रभाग देवलसारी रेंज के अन्तर्गत क्यारी क0 नं0, 1,2,3,3बी0 व 4 में वनप्रभाग मसूरी आरक्षित वन भूमि सिविल भूमि एवं नाप भूमि में है।

क0सं0	प्रस्तावित मोटर मार्ग में आने वाली भूमि का विवरण	प्रस्तावित कार्य	आरक्षित वन भूमि की लम्बाई चोड़ाई (मीटर में)		
			लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल है0 में
1	आरक्षित वन भूमि	मोटर मार्ग	10387	9.00	9.348
2	सिविल वन भूमि	मोटर मार्ग	1193	9.00	1.074
3	नाप	मोटर मार्ग	1420	9.00	1.278
		योग	13.00		11.700

इस प्रकार प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु कुल आपेक्षित है0 वन भूमि व नाप भूमि का निरीक्षण किया गया एवं भूमि की स्थिति समस्त बाधक वृक्षो की गणना कर पेंट से कंमाक अंकित किये गये है। जिनकी सूची तैयार कर पृथक संलग्न की जा रही है। प्रस्तावित संमरेखण में क्यारी कक्ष सं0 01, कक्ष सं0 02 कक्ष सं0 3 कक्ष सं0 04 कक्ष सं0 05 तथा सिविल सोयम में विभिन्न प्रजाति के 2106 वृक्ष प्रभावित हो रहे है।

अतः संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट प्रेषित।

(श्री बचन सिंह मल्याल)
अमीन अस्थाई खण्ड
लो0नि0वि0 थत्यूड।

(श्री अमित कश्यप)
अपर सहायक अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
थत्यूड।

(श्री पूरणे सिंह)
कण्डारी, राजस्व
उपनिरीक्षक क्यारी
(धनोल्टी)।

(श्री अतर सिंह चौहान)
वन वीट अधिकारी
क्यारी वीट।

(श्री बच्चन सिंह)
महर वन दरोगा क्यारी
अनुभाग, देवलसारी रेंज,
मसूरी वन प्रभाग , मसूरी।

संयुक्त निरीक्षण

अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 थत्युड द्वारा प्रस्तावित अगलाड थत्युड मोटर मार्ग के क्यारी से मसरास मोटर मार्ग (गैर वानिकी कार्य) किये जाने हेतु आरक्षित भूमि का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड् लो0नि0वि0 थत्युड का पत्रांक 543/1 सी 02/04/2018 व श्रीमान उपवन संरक्षक महोदय मसूरी वन प्रभाग मसूरी के निर्देश के अनुपालन में दि0 10/04/2018 को वन विभाग राजस्व विभाग तथा प्रस्तावक विभाग के निम्न अधिकारीयों/कर्मचारियों के द्वारा किया गया।

1 श्री राजेन्द्र सिंह रावत वन क्षेत्राधिकारी
2 श्री अमित कश्यप अपर सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0
3 श्री वचन सिंह मलियाल अमीन लो0नि0वि0
4 श्री धनीलाल राजस्व उप निरीक्षक नैनबाग
5 श्री आनन्द सिंह कण्डारी वन दरोगा
6 श्री वख्तौरू वन वीट अधिकारी

लो0नि0वि0 थत्युड द्वारा अगलाड–थत्युड मोटर मार्ग के क्यारी से मसरास मोटर मार्ग लम्बाई – 15.00 कि0मी0 चौडाई 9.00 मीटर प्रस्ताविल की गयी है। जिसका 2.00 कि0मी0 भाग भद्रीगाड रेंज के अन्तर्गत कोडी क0सं0 08 में पडता है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0स0	प्रस्तावित भूमि का प्रकार	प्रस्तावित कार्य	भूमि की लम्बाई चौडाई मीटर में		
			लम्बाई	चौडाई	क्षेत्रफल है0 में
1	आरक्षित वन भूमि	मोटर मार्ग	2000.00	9.00	1.80 है0
2	सिविल सोयम भूमि	–	–	–	–
3	नाप भूमि	–	–	–	–

अत एव हस्तान्तर हेतु प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि कोडी क0सं0 08 में 1.80 है0 भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया उक्त राम रेख के अन्तर्गत 853 वाधक वृक्ष आ रहे है। जिसकी सूची तैयार कर सलंग्न की जा रही है। प्रस्तावित सम रेखण का धनत्व 0.6से 0.7 के बीच है। आपेक्षित भूमि 1.80 है0 के दो गुने का क्षेत्रफल 3.6 है0 अर्थात 4.00 है0 कोडी क0सं0 08 में चयनित किया गया है। जिसकी दूरी प्रस्तावित स्थल से 100 मी0 दूर है।

P.T.O

क्यारी से मसरास भद्रीगाड रेंज के अन्तर्गत 2 कि0मी0 क्षेत्र में आने वाले वृक्षो की गणना सूची।

0 0	भूमिका विवरण	प्रजाति	व्यास वर्ग									
			0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	योग
	आरक्षित वन क्षेत्र कोडी क0सं0 08	बांज	77	113	118	92	91	32	12	2	–	537
		बुरांश	12	52	31	18	16	–	–	4	–	133
		मोरू	12	6	14	2	–	–	–	–	–	34
		अंयार	4	8	18	7	3			–	–	40
		कुकाट	38	46	21	4	–	–	–	–	–	109
			143	225	202	123	110	32	12	6	–	853
2	सिविल सोयम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	नाप भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(अमित कश्यप)
अपर सहायक अभियन्ता

(राजेन्द्र सिंह रावत)
वन क्षेत्राधिकारी
भद्रीगाड रेंज
मसूरी वन प्रभाग

(वख्तौरू)
वन बीट अधिकारी

(आनद सिंह कण्डारी)
वन दारोगा

(वचन सिंह मलियाल)
अमीन लो0नि0वि0

(धनीलाल)
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र राजस्व उप निरीक्षक
तह० ... टि ग

Poto copy attested

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो॰नि॰वि॰
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)

प्रारूप– 6

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, थत्यूड़ द्वारा प्रस्तावित अगलाड – थत्यूड मोटर मार्ग के क्यारी से मसरास मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तानन्तरण के लिए प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग के आदेशानुसार दिनांक 16.03.2018 तथा 10.04.2018 को वन विभाग, राजस्व विभाग तथा प्रस्ताव विभाग के निम्न अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया ।

1. श्री बचन सिंह महर, वन दारोगा क्यारी अनुभाग देवलसारी रेंज।
2. श्री अतर सिहं चौहान, वनबीट अधिकारी क्यारी ।
3. श्री राजेन्द्र सिंह रावत, वनक्षेत्राधिकारी भद्रीगाड रेंज।
4. श्री आनन्द सिंह कण्डारी, वन दरोगा कोडी बीट।
5. श्री वख्तौरू वन बीट अधिकारी कोडी।
6. श्री पूरण सिंह कण्डारी राजस्व उपनिरीक्षक क्यारी
7. श्री धनीलाल राजस्व उपनिरक्षक नैनबाग।
8. श्री अमित कश्यप , अपर सहायक अभियन्ता , अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 थत्यूड़।
9. श्री बचन सिंह मल्याल अमीन अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 थत्यूड़।

लो0नि0वि0, थत्यूड द्वारा क्यारी से मसरास मोटर मार्ग लम्बाई 15.00 किमी0 चौड़ाई 9.00 मी0 प्रस्तावित की गई है जो मसूरी वन प्रभाग देवलसारी रेंज के अन्तर्गत क्यारी क0 नं0, 1,2,3,3बी0 व 4 तथा भद्रीगाड रेंज कोडी बीट सं0 8 वनप्रभाग मसूरी आरक्षित वन भूमि सिविल भूमि एवं नाप भूमि में है।

क्र0सं0	प्रस्तावित मोटर मार्ग में आने वाली भूमि का विवरण	प्रस्तावित कार्य	आरक्षित वन भूमि की लम्बाई चोड़ाई (मीटर में)		
			लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल है0 में
1	आरक्षित वन भूमि	मोटर मार्ग	12387	9.00	11.148
2	सिविल भूमि	मोटर मार्ग	1193	9.00	1.074
3	नाप भूमि	मोटर मार्ग	1420	9.00	1.278
		योग	**15.00**		**13.500**

अतएव हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित आरक्षित वन एवं सिविल वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है।

कसं0	भूमि का प्रकार,	क्षेत्रफल है0 मी0
1	आरक्षित वन भूमि	11.148
2	सिविल वन भूमि	1.074
3	**योग**	**12.222**

इस प्रकार प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु कुल आपेक्षित है0 वन भूमि व नाप भूमि का निरीक्षण किया गया एवं भूमि की स्थिति समस्त बाधक वृक्षो की गणना कर पेंट से कंमाक अंकित किये गये है। जिनकी सूची तैयार कर पृथक संलग्न की जा रही है। प्रास्तावित संमरेखण से वृक्ष सघन रूप से विद्यमान है एवं स्थल का घनत्व 0.6 से 0.7 के बीच है स्थल पर कूल वृक्षों का सारांश संलग्न है।

आरक्षित वन भूमि 11.148 तथा सिविल वन भूमि 1.074 है0 कुल 12.222 है0 के दुगने क्षेत्रफल 24,444 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए सिविल सोयम भूमि 24.444 में चयनित किया गया है।

जिसका क्षेत्रफल 24.444 है0 है। जिसकी दूरी प्रस्तावित स्थल से लगभग 01 किमी0 दूर पर है चयनित क्षेत्र का घनत्व शून्य है। प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु आपेक्षित भूमि न्यूनतम है। एवं प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण के संमरेखण हेतु अन्य कोई विकलप नहीं है प्रस्तावित क्षेत्र का इको क्लास ।।। है।

इस प्रकार प्रस्तावित मोटर मार्ग के लियें आपेक्षित वन भूमि, मसूरी वन प्रभाग की नियंत्रण की 11.148 है0 तथा सिविल वन भूमि 1.074 है0 के हस्तानतरण के पूर्व स्वीकृति एफ0सी0ए0 1980 के तहत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से ली जानी आवश्यक है।

क्षेत्र की ग्रामीणों को यातायात की सुविधा न होने के कारण उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में आम ग्राम सभा का प्रस्ताव , प्रस्ताविक विभाग द्वारा सम्बन्धित से लिया जाना आवश्यक होगा।

प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात अथवा आदेश निर्गत किये जाने पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0बी0 तथा अन्य धनराशि जो भी उच्च स्तर से निर्धारित की जायेगी उसे प्रस्ताविक विभाग जमा करेगा तथा अन्य शर्ते जो तय की जायेगी। प्रस्ताविक विभाग उनका अनुपालन सुनिश्चित करेगाा तथा वन भूमि हस्तानारण की स्वीकृति प्राप्त होने पर निम्न शर्तो का अनुपालन का प्रस्ताविक विभाग द्वारा करना होगा।

1. कार्य स्थल पर प्रस्तावित निर्माण कार्य भू–वैज्ञानिक की भूगर्भीय आख्या/अनुसंशाओं के अरूप कराना होगा तथा स्वीकृति के पश्चात समरेखण किसी भी दशा में मान्य नही होगा।
2. निर्माण कार्य के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं वन्य प्राणियों , वन सम्पदा को किसी भी प्रकार की क्षति नही पहुचायी जायेगी तथा वन जीवों के आवागमन में कोई अवरोद्ध उत्पन्न नहीं किया जायेगा।
3. निर्माण कार्य के दौरान कार्यगत् श्रमिकों द्वारा वन क्षेत्रों से कोई जलोनी लकडी प्रयोग नहीं की जायेगी और न ही वन क्षेत्र को किसी प्रकार की क्षति पहुचायी जायेगी।
4. भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार की स्वीकृति एवं तत्सम्बन्धी सभी शर्तो का पूर्णतयाः अनुपालन कराना होगा एवं शर्तो को अनुपालन करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा।
5. प्रस्तावित मोटर मार्ग की स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य के दौरान उत्पादित मलवा जंगल क्षेत्र में नहीं फेका जायेगा और न ही उत्पादित मलवे से वन क्षेत्र को कोई क्षति पहुचायी जायेगी।

अतः प्रस्तावक विभाग द्वारा उत्पादित मलवे के उचित निस्तारण हेतु डिस्पोजल प्लान बनाना होगा।

(श्री बचन सिंह मल्याल)
अमीन अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 थत्यूड।

(श्री अमित कश्यप)
अपर सहायक अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 थत्यूड।

(श्री पूरण सिंह काण्डारी)
राजस्व उपनिरीक्षक क्यारी (धनोल्टी)।

(श्री अतर सिंह चौहान)
वन वीट अधिकारी क्यारी वीट।

(श्री बच्चन सिंह महर)
वन दरोगा क्यारी अनुभाग, देवलसारी रेंज, मसूरी वन प्रभाग , मसूरी।

(श्री धनीलाल)
राजस्व उपनिरीक्षक नैनबाग।

(श्री वख्तौरू)
वन वीट अधिकारी कोडी वीट।

(श्री आनन्द सिंह कण्डारी)
वन दरोगा कोडी बीट।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
थत्यूड (टिहरी गढ़वाल)

वन क्षत्राधिकारी
भद्रीगाड रैंज
मसूरी वन प्रभाग

तहसीलदार
धनोल्टी
टिहरी गढ़वाल

उपजिलाधिकारी
धनोल्टी
टिहरी गढ़वाल